

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या- उ0सं0नि0-26/2003- विभागीय अधिसूचना संख्या-647 दिनांक-
17.02.2004, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8 (बी) में उल्लिखित प्रावधानों के
आलोक में लिया गया है, के क्रम में मधेपुरा जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन
किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. जिला समाहर्ता | - | अध्यक्ष |
| 2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| (क) जिला में संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि | | |
| 3. जिला के निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य | - | सदस्य |
| 4. जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य | - | सदस्य |
| (ख) विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि | | |
| 5. उप विकास आयुक्त | - | सदस्य |
| 6. जिला शल्य चिकित्सक | - | सदस्य |
| 7. जिला कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 9. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम | - | सदस्य |
| 10. अध्यक्ष, जिला परिषद् | - | सदस्य |
| 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी दूरदर्शन | - | सदस्य |
| (ग) महिला प्रतिनिधि | | |
| 12. श्रीमती ललिता देवी,
प्रमुख, पंचायत समिति,
गम्हरिया, जिला- मधेपुरा।
मोबाईल नं0- 9525361161 | - | सदस्य |
| 13. श्रीमती अन्नू देवी,
पति-बिजली सिंह,
ग्राम-दुर्गास्थान के बगल में उदाकिशुनगंज
जिला- मधेपुरा।
मोबाईल नं0- 96612447650 | - | सदस्य |
| (घ) स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि | | |
| 14. श्री मनोज यादव,
पिता- नवीन स्वयं सहायता समूह,
धूरगाँव, जिला- मधेपुरा।
मोबाईल नं0- 8051850709 | - | सदस्य |
| 15. श्री नरेश कुमार रमण,
सचिव, देवकी नीता कल्याण विकास समिति,
जिला-मधेपुरा।
मोबाईल नं0- 9431091761 | - | सदस्य |

16. श्री अनादी मिश्रा, — सदस्य
वर्षा स्वयंसेवी संस्था,
ग्राम— आलमनगर
जिला—मधेपुरा।
मोबाईल नं०— 9472035568
17. श्री लखन भगत, — सदस्य
पिता—धुरन भगत,
बिहारीगंज, जिला—मधेपुरा।
मोबाईल नं०— 9162388517
- (ड.) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि
18. श्री योगेन्द्र प्रसाद प्राणसुखका — सदस्य
जिला— मधेपुरा,
मोबाईल नं०— 9431242103
19. श्री मनीष सर्राफ, — सदस्य
जिला—मधेपुरा,
मोबाईल नं०— 9431242010
20. श्री राजनीति साह, — सदस्य
ग्राम+पो०— भी०आई०पी० रोड,
बिहारीगंज,
जिला—मधेपुरा,
मोबाईल नं०— 9939795815
21. श्री मिथिलेश कुमार, — सदस्य
मुखिया, शाहपुर, बिहारीगंज,
जिला—मधेपुरा,
मोबाईल नं०— 9006112182
- (च) उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति
22. श्री शशिभूषण सिंह, — सदस्य
पिता—स्व० अंशु प्रसाद सिंह,
ग्राम— सुखासन चकला,
जिला— मधेपुरा।
23. मो० शौकत अली, — सदस्य
पुराना बाजार,
जिला— मधेपुरा।
मोबाईल नं०— 9939733509
24. श्री जय प्रकाश, — सदस्य
प्रखंड प्रमुख, पुरैनी,
जिला— मधेपुरा।
मोबाईल नं० 9430501180
25. श्री महादेव चौधरी, — सदस्य
ग्राम—चन्डी चौक, बिहारीगंज,
जिला— मधेपुरा,
मोबाईल नं०— 9431893800

(2) शर्त :-

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 3 वर्षों का होगा।
2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य हैं, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहें।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य इस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुर्नगठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संशोधित-2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-1 के पदाधिकारी का अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष- 3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।

- (3) आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधरा अंक में प्रकाशित कराया जाए तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डीयल आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाश ~~कुमार~~)

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक ।

ज्ञापांक :- उ0सं0नि0-26/2003 7062 दिनांक :- 03/09/15
प्रतिलिपि :- सम्बन्धित प्रमण्डीयल आयुक्त/संबन्धित जिलाधिकारी/संबन्धित उप विकास आयुक्त/संबन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद्/ माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/ निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. समाहर्ता, मधेपुरा से अनुरोध है कि अपने जिला के नामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक ।

ज्ञापांक :- उ0सं0नि0-26/2003 7062 दिनांक :- 03/09/15
प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक ।

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-26/2003 7062 दिनांक :- 03/09/15
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के
आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी०डी० संलग्न)
अनुरोध है कि अधिसूचना की 100(एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध
कराने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव  सह-निर्देशक।